संख्या-83/2023/1802/22-2-2022-17(186)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 फरवरी, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गनपत पुत्र श्री जुजू, निवासी जनपद-ललितपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21667/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07-06-2022) दिनांक-04-07-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गनपत पुत्र श्री जुजू, जो ग्राम-अगौडी, थाना-सौजना, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। बन्दी गनपत के कन्हैया की पत्नी फूलन से अवैध सम्बन्ध थे, जिसका कन्हैया विरोध करता था, इसी रंजिश को लेकर दिनांक 09/10.12.2007 को बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से मारकर कन्हैया की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-19/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, ललितपुर के आदेश दिनांक 26.08.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.01.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 06.09.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.05.2022 तक 14 वर्ष 04 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 07 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, ललितपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है बन्दी गनपत के कन्हैया की पत्नी फूलन से अवैध सम्बन्ध थे, जिसका कन्हैया द्वारा विरोध किये जाने की रंजिश में दिनांक 09/10.12.2007 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से कन्हैया की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गनपत पुत्र श्री जुजू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गनपत (बन्दी संख्या-14622) पुत्र श्री जुजू, निवासी जनपद-ललितपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-83/2023/1802(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-83/2023/1802/22-2-2022-17(186)/2020

दिनांक 28 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गनपत पुत्र श्री जुजू, जो ग्राम-अगौडी, थाना-सौजना, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। बन्दी गनपत के कन्हैया की पत्नी फूलन से अवैध सम्बन्ध थे, जिसका कन्हैया विरोध करता था, इसी रंजिश को लेकर दिनांक 09/10.12.2007 को बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से मारकर कन्हैया की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-19/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, ललितपुर के आदेश दिनांक 26.08.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.01.2018 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 06.09.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.05.2022 तक 14 वर्ष 04 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 07 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, ललितपुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है बन्दी गनपत के कन्हैया की पत्नी फूलन से अवैध सम्बन्ध थे, जिसका कन्हैया द्वारा विरोध किये जाने की रंजिश में दिनांक 09/10.12.2007 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से कन्हैया की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गनपत पुत्र श्री जुजू को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in